13.7.24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान/वादकार उपस्थित हो जाता है, प्रा.पत्र दिया गया। प्रतिवादी गण। प्रार्थनापत्र 28 क का अवलोकन वादी गण पक्षकार के अनुसार [illegible] के [illegible] कागज [illegible] जाने की [illegible] नहीं है, वकील पक्षकारान द्वारा [illegible] [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया।
	सुना। [illegible], वकील वादी द्वारा [illegible] के बाद के [illegible] को [illegible] [illegible] की गई।
	मेरे द्वारा पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया गया, [illegible]। प्रार्थना पत्र 28 का अवलोकन वादी [illegible] द्वारा [illegible] दस्तावेजात [illegible], [illegible] के अवलोकन पर

ान .... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता, अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

—:: न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—
बईजलास रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

मिसल न0 105/2024

बउनवान

मदनलाल उम्र 58वर्ष पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी मेहरो के मंदिर के पास सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।आधार न0 8010 7600 6843 — वादी—

बनाम

1. मदनलाल उम्र 75वर्ष पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। आधार न0 2291 9871 2739
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53आर टी एक्ट

उपस्थितिः—
वादी की ओर से :— श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता
प्रतिवादीन01की ओर से :— श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीन02की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: **निर्णय** ::— दिनांकः— 13.7.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीन01 दोनो एक ही जाति समाज के है, तथा दोनो के नाम व उनके पिता के नाम समान है, तथा वादी व प्रतिवादी न01 दोनो ही कस्बां सांगोद के निवासी है।वादी ने मोहनलाल पुत्र नेनगा जाति माली निवासी सांगोद से जर्ये विक्रय विलेख 21.5.2015 के द्वारा माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 576 के खसरा न0635 की 0.17 हेक्टर सम्पूर्ण क्रय की थी, और विक्रय विलेख का पंजीयन करवा लिया है।विक्रय विलेख के आधार पर क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल खुलवाने पर प्रतिवादी न01 व वादी का नाम व पिता का नाम व जाति समान होने से वादी की उक्त क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल खोलकर प्रतिवादीन01 के खाते व कब्जे काश्त की माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0 640 की 0.69हेक्टर व खसरा न0681 की 0.02हेक्टर के साथ जोड दी गई, और वादी की क्रयशुदा आराजी को प्रतिवादी न01 के खाते मे सम्मलित कर दिया गया, इस प्रकार वर्तमान मे प्रतिवादी न01के खाते की स्थिति माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0635 की 0.17हेक्टर, खसरा न0 640 की 0.69हेक्टर व खसरा न0 681 की 0.02 हेक्टर कुल 3 किता की कुल 0.88हेक्टर हो गई है, जबकि वास्तविकता मे प्रतिवादी न01 के खाते की स्थिति माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

2....

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

के खसरा न0 640 की 0.69हेक्टर व खसरा न0 681 की 0.02हेक्टर कुल 2 किता की कुल 0.71हेक्टर आराजी होनी चाहिए थी, तथा वादी का खाता माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0635 की 0.17हेक्टर कुल 1 किता की कुल 0.17हेक्टर आराजी होना चाहिए था। वादी व प्रतिवादीन01 दोनो एक ही जाति समाज के है, तथा एक ही मौहल्ले मे निवास करते है, दोनो के पिता का नाम भी एक ही है, जिसके कारण वादी की कयशुदा आराजी को प्रतिवादीन01 की आराजी के साथ जोड दिया गया है, जिससे वादी आराजी खरीदने के बाद भी भूमिहीन हो गया है, वादी अपनी आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है, तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी न01 के मध्य किसी प्रकार का कब्जे काश्त को लेकर विवाद भी नही है। तथा प्रतिवादीन01ने वादी की कयशुदा आराजी खसरा न0 635 की 0.17हेक्टर को कभी भी काश्त नही किया है। वादी की उक्त आराजी प्रतिवादीन01 की आराजी मे मिला देने से वादी को अपनी आराजी पर कृषि ऋण लेने व आराजी का विकास कार्य करवाने मे भी काफी परेशानी का सामना करना पडता है। वादी द्वारा पटवारी हल्का महोदय से राजस्व रेकार्ड मे उक्त कयशुदा आराजी का दोनो के आधार नम्बर नाम के साथ जोडते हुए खाता अलग करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहने के कारण वादी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने से माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, तथा प्रतिवादी न01की ओर से श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया, तथा प्रतिवादीन01की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है, तथा प्रतिवादीन02द्वारा राजहित प्रभावित नही होने से कोई आपत्ति नही की है, जिससे उक्त पत्रावली बहस मे नियत की गई, जिसमे वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे वाद के बिन्दुओ को दौहराया गया, और वादी का वाद स्वीकार कर डिकी किये जाने की प्रार्थना की, तथा बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है, तथा आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी न01के खाते मे दर्ज माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0635 की 0.17हेक्टर, खसरा न0 640

उप खण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

उप ख... सांगोद

की 0.69हेक्टर व खसरा न0 681 की 0.02हेक्टर कुल 3 किता की कुल 0.88 हेक्टर आराजी मे से वादी की जर्ये विक्रय विलेख के द्वारा क्रयशुदा आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0635 की 0.17हेक्टर कुल 1 किता की कुल 0.17हेक्टर आराजी मे वादी के नाम के साथ वादी का आधार न0 8010 7600 6843 जोडते हुए वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम के साथ आधार न0 8010 7600 6843 जोडते हुए राज लगान व खाता प्रथक किये जाने के सादिर आदेश दिये जाते है, तथा शेष आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0 640 की 0.69हेक्टर व खसरा न0 681 की 0.02हेक्टर कुल 2 किता की कुल 0.71हेक्टर आराजी का प्रतिवादी न01 को पूर्ववत खातेदार रखा जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर खाता प्रथक प्रथक किये जाने के आदेश दिये जाते है, नियमानुसार डिक्री पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(रामावतार मीना)
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
आर. ए. एस.
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक ....13.7.24.............को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
आर. ए. एस.
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद